

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Section A

मशीनों का उदय : एक अवसर अथवा
मानवता के लिए खतरा

हाल के वर्षों में मशीनों के उदय को लेकर, बहस गंभीर होती जा रही है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग व टेलसा कार के संस्थापक एलन मस्क के मध्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त मशीनों तथा आने वाले वर्षों में उनके प्रभाव को लेकर विवाद दिड़ गया।

प्रख्यात भौतिकशास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने तो, मशीनों को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है।

इस निबंध के माध्यम से हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे :-

क्या औद्योगिक क्रांति 4.0 क्या है,
व इसके क्या निहितार्थ हैं?

• मशीनों के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते
उपयोग व इन्हें लेकर उठ रही
चिंताएं क्या हैं ?

मशीनों का उदय, क्या सचमुच
मानवता के लिए एक खतरा है;
या एक अवसर ?

आधुनिक क्रांति 4.0

आधुनिक क्रांति 4.0, कृत्रिम
बुद्धिमत्ता युक्त मशीनों तथा ऑटोमेशन
के बढ़ते प्रयोग से जुड़ी हुई है।

इस क्रांति के कारण, अनेक
वर्षों में मशीनें, विभिन्न क्षेत्रों
में मानवों को प्रतिस्थापित कर देंगी,
उच्च कंप्यूटेशनल क्षमता युक्त मशीनें,
पार्टल से पार्टल समस्याओं का
समाधान कुछ मिनटों में कर देंगी।

आधुनिक क्रांति 4.0,
मानव सभ्यता के इतिहास में, मील
का पत्थर साबित हो रही है।

औद्योगिक क्रांति 4.0 से जुड़े विभिन्न
निहितार्थ होंगे - उच्च कौशल व
बुद्धिमत्ता युक्त मशीनें, अब
मेडिकल, स्पेस क्षेत्र में बड़ी भूमिका
निभाएंगी। इससे पेटिल बीमारियों
के इलाज इन्हें में आसानी होगी।
हाल के वर्षों में मशीनों का
उपयोग, विभिन्न क्षेत्रों में अप्रत्याशित
रूप से बढ़ा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनौतियों के
दौरान, दोनों उम्मीदवारों - डोनाल्ड
ट्रंप व हिलेरी क्लिंटन ने, आरामिक
ट्रिबल फोड का प्रयोग किया, जिसे
चुनौतियों में निर्णायक भूमिका निभाने
के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त
मशीनों का प्रयोग बैंकिंग व बीमा
बाजारों में द्रुत गति से हो रहा
है, यहाँ तक कि निवेश के

निर्णयों को लेने में मशीनों की सटीकता के कारण, कई बड़ी निवेशक कंपनियों - S&P, मॉर्गन स्टैनली ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त मशीनों के निर्माण पर बल दिया है।

चिकित्सा क्षेत्र में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त मशीनों का प्रयोग उल्लेखनीय है, हाल ही में HP द्वारा विकसित मशीन ने, कैंसर की सही पॉथ की, तथा उसके द्वारा बताई गई दवाएं, डॉक्टरों द्वारा बताई जाने वाली दवाओं के समान ही थी।

स्पेस तकनीक व मौसम के पूर्वानुमान हेतु, पहले भी सुपरकंप्यूटर का प्रयोग किया जाता रहा है, तथा हाल के वर्षों में, मौसम संबंधी पूर्वानुमानों में सटीकता आई है, जिसका श्रेय मशीनों को जाता है।

जापान में घटती तथा बढ़ती जाती आबादी के मद्देनजर, विभिन्न कार्यों हेतु मशीनों का प्रयोग प्रारंभ हुआ है।

स्पष्ट है कि मशीनों के प्रयोग में हाल के वर्षों में एहसास हुई है, तथा इसका लाभ मनुष्यों को मिला है, फिर हाल के वर्षों में मशीनों के बढ़ते प्रयोग को लेकर चिंता क्यों व्यक्त की जा रही है?

मशीनों के प्रयोग : विभिन्न क्षेत्रों पर

इसका प्रभाव

हाल के वर्षों में मशीनों के प्रयोग का प्रभाव, रोजगार पर सर्वाधिक रूप से पड़ता दिख रहा है।

पिछले वर्ष वर्ल्ड बैंक अधिकारी ने कहा था कि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ऑटोमेशन के कारण, आने वाले वर्षों में भारत अपनी 69% नौकरियाँ खो देगा।

ऑटोमेशन के कारण, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, रोजगार की समस्या पैदा हो गई है।

कपड़ा विनिर्माण, कागद विनिर्माण इत्यादि कंपनियाँ, ऑटोमेशन को प्रोत्साहन दे रही हैं; जिसके कारण, विकासशील देशों में विशेष रूप से, विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियों के खोने का खतरा पैदा हो गया है।

उदाहरण :- जर्मनी में, एडिडास (Adidas) ने, पूर्णरूपेण ऑटोमेटेड संयंत्र खोला है।

ऑटोमेशन के कारण ही कहीं न कहीं भारत की 'मैक इन इंडिया' का अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है।

हाल के वर्षों में स्वयंसेवक कारों (गुगल) के कारण, आने वाले वर्षों में निम्न कौशल युक्त रोजगार जैसे :- ड्राइवर इत्यादि के समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है।

मुलैन मास्क ने, ऑटोमेशन के कारण, विनिर्माण क्षेत्र व कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त मशीनों के कारण उच्च कौशल युक्त शैक्षणिकों में, नौकरी के अवसरों की होने वाली कमी का घाषणा का दी है।

मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग का खतरा न सिर्फ अधिक क्षेत्र पर, बल्कि आने वाले वर्षों में सामाजिक स्तर पर भी पड़ेगा।

मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से, समाज में व्याप्त असमानता में बढ़ते होने की आशंका है। गरीब वर्ग तथा निम्न कौशल युक्त वर्ग को मशीनों के अधिकाधिक उपयोग का दंश झेलना पड़ेगा।

पूर्व में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में पिछड़े इस की के लिए, बहने मशीनीकरण ने, आजीविका संबंधी नई चुनौतियां खड़ी का दी है।

मशीनों के बढ़ते प्रयोग से, नव उपनिवेशवाद का प्रक्रिया को भी बल मिलेगा, जिसमें विकासशील व अल्प विकसित देश, विकसित देशों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने हेतु विवश हो पाएंगे।

इससे वैश्विक स्तर पर, विकसित देशों का वर्चस्व और बढ़ेगा।

मशीनों का प्रयोग : मानवता के हित में?

मशीनों का अधिकधिक प्रयोग, मानवता के लिए खतरा सिद्ध होगा, ऐसे विचार भी हाल के दिनों में सामने आ रहे हैं।

फेसबुक द्वारा विकसित चैट बॉक्सों द्वारा, आपस में, मशीनी भाषा (Machine language) में किए गए संवाद ने, इस आशंका को और बल प्रदान किया है।

संभव है कि आने वाले वर्षों में मशीनें, मानव नियंत्रण से

मुक्त होकर, आपस में संवाद स्थापित
का ले, मानवीय निर्देशों को मनने
से इंकार कर दें या मानवा के
विशेष विकार कर दें।

मशीनों का प्रयोग : आगे का मार्ग

हाल के वर्षों में, मशीनों
के बड़े उपयोग को लेकर, उत्पन्न
होने वाले खतरों विशेषकर रोजगार
संबंधी चुनौती, के लिए, सिलिकॉन
वेली के उद्योगों ने (सावित्रीम
बुनियादी आय) के विचार को समर्थन
(UBI) दिया है।

UBI के द्वारा, सरकार अपने
प्रत्येक नागरिक को एक अनिश्चित
आय प्रदान करेगी, जिससे मशीनीकरण
का खतरा कम हो सके।

इसके अतिरिक्त, मशीनों के
प्रयोग को लेकर, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर, विधि निर्माण की
भी आवश्यकता है।

मशीनों का प्रयोग किन क्षेत्रों में व
किस रूप में किया जाएगा, व
यह तब कबना आवश्यक होगा।

यह स्पष्ट है कि मशीनों
के प्रयोग के अपने लाभ हैं -
मशीनों की किसी व्यक्ति की अपेक्षा,
लंबा जीवन-काल होगा, इसलिए
उनका प्रयोग लंबे समय तक किया
जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त यह भाविष्य
की नई संभावनाओं के मार्ग
खोलना।

हालांकि यह आवश्यक है
कि, आने वाले वर्षों में मशीनों
के घटते प्रचलन व उनसे प्राप्त
लाभ व उनके मुकाम का
न सिर्फ अवलोकन किया जाय व
बल्कि इस दिशा में राष्ट्रीय
व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पुनर्निर्माण

कदम उठाया जाए, ताकि मानवता,
अपने द्वारा निर्मित मशीनों का
लाभ उठाने में सक्षम हो, तथा
यह कदम एक अवसर है न
कि मानवता के लिए खतरा।

Section B

अधिकार आधारित दृष्टिकोण सामाजिक
आर्थिक विकास की कुंजी है

अधिकारों से हमारा तात्पर्य है, किसी
बुनियादी चीजें, जिसे पाना मानव
का हक है। मानव जीवन हेतु,
न्यूनतम अधिकारों को प्राप्त करने
का संघर्ष पुराना है।
हाल के वर्षों में, लोक
कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
के सुदृढ़ होने के पश्चात्, नीति-
निर्माताओं ने, नागरिकों को अधिक
आधारित अधिनियमों द्वारा अशक्त
करने का मार्ग अपनाया है।

अधिकार आधारित दृष्टिकोण :-

अधिकार आधारित दृष्टिकोण
का मुख्य उद्देश्य, नागरिकों को
विभिन्न विषयों के संबंध में अधिकार
प्रदान करना है। उदाहरण :- शिक्षा का
अधिकार।

विभिन्न योजनाओं को अधिकार आधारित दृष्टिकोण द्वारा लागू करने से, जागीरक उन योजनाओं का लाभ, ज्यादा अच्छे ढंग से उठा पाता है।

अधिकारों की संकल्पना, सर्वप्रथम, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान व्यक्त हुई, जिसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना, उद्देश्य था।

परंतु, आज अधिकार सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि सामाजिक व आर्थिक विकास की दृष्टि के रूप में उनका प्रचलन बढ़ रहा है।

भारत व अधिकार आधारित दृष्टिकोण

भारतीय संविधान निर्माताओं ने, संविधान निर्माण के समय, सूब अधिकारों (अनु 12-35) व नीति-निर्देशक तत्वों (अनु 36-51) के माध्यम

से नागरिकों के राजनीतिक-आर्थिक व सामाजिक अधिकारों का उपलब्ध किया था।

नीति निर्देशक तत्व विशेष रूप से व्यक्ति के विभिन्न, सामाजिक व आर्थिक अधिकारों से संबंधित हैं। - उदाहरण :-

समान कार्य के लिए समान वेतन, काम का अधिकार, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार इत्यादि।

हालांकि इन सभी अधिकारों को सिर्फ संसद द्वारा अधिनियमों के माध्यम से ही प्रवर्तनीय करवा जा सकता है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अमर्त्य सेन, देश के नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु, अधिकार आधारित दृष्टिकोण को अग्रतम मानते हैं।

भारत ने, भी अपने नागरिकों के
लिए विविध अधिकार आधारित,
अधिनियमों का निर्माण किया है,
जिसका उद्देश्य मानव विकास है।

अधिकार आधारित दृष्टिकोण व आर्थिक
विकास

केंद्र सरकार ने, मनरेगा अधिनियम
के माध्यम से लोगों को 'काम
करने का अधिकार' प्रदान किया।

मनरेगा अधिनियम, रोजगार
गारंटी योजना है, जिसके अंतर्गत
ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी परिवार
के ठहरा सदस्य को 100 दिनों
का, अकुशल कार्य प्राप्त करने
का अधिकार है।

मनरेगा अधिनियम, ~~विशेषकर~~
द्वारा 'काम के अधिकार' की
मान्यता ने, ग्रामीण क्षेत्रों में,
सकारात्मक प्रभाव डाला है।

मनरेगा लागू होने के पश्चात्, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवासन की दर में कमी आई है, महिलाओं को ग्राम शिप्यार (मनरेगा के अंतर्गत) का राष्ट्रीय आसत 50% से अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है, तथा ग्रामीण निर्धनता दर में कमी आई है। स्पष्ट है कि मनरेगा का ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त मनरेगा में उपबंधित सामाजिक कार्य आउट का लाभ भी, ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के कारिसंचालन में प्राप्त हुआ है।

हाल ही में, आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में, भारत में 'सर्विभाम बुनियादी (VBI) आय' लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा की गई है।

UBI को सरकार, अधिकार
आधारित दृष्टिकोण के माध्यम
से भी लागू कर सकती है।
सभी नागरिकों को जीवन-
वापन हेतु, न्यूनतम आय प्राप्त करने
का अधिकार होना चाहिए, और
व्यक्ति देश में, निश्चिन्ता दर में
कमी आणनी।

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही
में दिए अपने निर्णय में, संविदा
कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों
के समान (बराबरी) वेतन देने का
निर्देश दिया।

केंद्र सरकार, इस निर्णय
को लागू करने हेतु अधिनियम
का निर्माण कर सकती है, जिसके
अंतर्गत, समान कार्य के लिए
समान वेतन, प्राप्त करना, प्रत्येक
नागरिक का अधिकार होना चाहिए।

अधिकार आधारित दृष्टिकोण व सामाजिक विकास

सामाजिक विकास हेतु भी, केंद्र सरकार
ने विभिन्न अधिकार आधारित,
दृष्टिकोण संबंधी अधिनियमों का
निर्माण किया है। (RTE)
"शिक्षा का अधिकार",
जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने 6-14
वर्ष के बच्चों को अनिवार्य
शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार
प्रदान किया।

RTE के लागू होने के
पश्चात्, भारत में प्राथमिक शिक्षा
से जुड़े विभिन्न सूचकांक में,
सकशत्मक ~~का~~ प्रभाव दर्प निरुद्ध है।
प्राथमिक शिक्षा स्तर पर दक्षिण का
नामांकन, लगभग शत-प्रतिशत है।
जया है, बालिकाओं के विद्यालय
नामांकन में वृद्धि हुई है।

हामांकि, यह वाह्य, उच्च तथा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, जिसका एक कारण, इन क्षेत्रों से पुंस शिक्षा का अधिकार की अनुपस्थिति भी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से भारतीय नागरिकों (भोजन का अधिकार) प्रदान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लगभग 75% आबादी कम है।

(भोजन का अधिकार) एक क्रांतिकारी कदम है, जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक को निश्चित करता है।

भारत के सभी राज्यों में 2016 से भोजन का अधिकार लागू हो गया है, तथा और वाले वर्षों में आशा है कि

यह योजना देश में भ्रष्ट से जुड़ी
माला व कुपोषण की समस्या
का समाधान कर पाने में
सफल होगी।

हाल ही में जारी राष्ट्रीय
स्वास्थ्य नीति - 2016 में अपने
प्रारूप नीति के अंतर्गत उल्लिखित
(स्वास्थ्य के अधिकार) को
शामिल नहीं किया गया है।
भारत, में स्वास्थ्य सेवाओं
के मंहगे (out of pocket expenditure)
होने के कारण प्रति
वर्ष, हजारों परिवार बारीबी रेखा
के नीचे आ जाते हैं।
आवश्यक है कि भारत में स्वास्थ्य
के अधिकार को लागू किया

जाए।

संविधान के अनु. 41 में
विभिन्न परिस्थितियों - जैसे:-

अपंगा, वृद्धावस्था इत्यादि के
देशन लोक सहायता प्राप्त कर्त
का अधिकार उपस्थित है।


हाल ही में देश में,
वृद्धों की संख्या में वृद्धि तथा
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कमी
ने, इस ओर नीति-निर्देशकों का
ध्यान आकर्षित किया है।

एक नवतरी तरीका यह
होगा कि बढ़ती सामाजिक -
सांस्कृतिक परिवेश में वृद्धों
को भी लोकसहायता प्राप्त कर्त
का अधिकार प्रदान किया जाए।

निशक्त लोगों हेतु, लोक
सहायता प्राप्त कर्त का अधिकार,
उनका सामाजिक सशक्तीकरण कर्त
में प्रभावी सिद्ध होगा।

अधिकार आधारित दृष्टिकोण
नागरिकों को उनके अधिकारों
के प्रति जागरूक बनाती है,
तथा एक सशक्त नागरिक समाज
का निर्माण करती है। इसलिए
आवश्यक है कि विभिन्न नीतियों
के क्रियान्वयन में इस दृष्टिकोण
को लागू किया जाए।


- ✓ अधिकार आधारित दृष्टिकोण
 - ↳ जो मानव का हक है,
 - ↳ अमर्त्य सेन



- ↳ Economic
 - ↳ Right to Work
 - ↳ Right to have a minimum wage.
 - ↳ UBI → make it as right based.
- ↳ Socio → Right to education, Right to health, Right to Food, Right to Assistance.
- ↳ सामूहिक अधिकार
- ✓ जंगल वन्यता → Right

⇒ Active Judiciary
↳ PIL
↳ सुसंगत खानून

Rise of machine
↳ AI + Automation
↳ शान्तिविक
↳ सामाजिक
↳ अधिक
↳ सांस्कृतिक



↳ मशीन: फायदा → ✓ मशीन का उपयोग करना
↳ एक मशीन → 10

↳ मशीन का use → Banking consultancy
↳ Man v/s machine → Political campaigning
↳ space technology
↳ Medical sector